संख्या:151/2026/648बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/8/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक: 17 सितम्बर, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-25/2026/293 बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/8/2025 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-झांसी में 47 कार्यों की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक-13, 14, 17, 19, 25, 26, 28, 30, 31 एवं 35 से 39 पर अंकित कार्यो की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या-109/2026/428 बु०वि०नि०/35-1-2026/35-1099/8/2025 दिनांक 04 जून, 2026 द्वारा निर्गत किए गए हैं। तदोपरान्त पुनः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक-1 पर अंकित कार्य की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या-130/2026/517बु०वि०नि०/35-1-2026/35-1099/8/2025 दिनांक 03 अगस्त, 2026 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 जून, 2026 एवं दिनांक 03 अगस्त, 2026 द्वारा 15 कार्यो की परिवर्तित की गयी कार्यदायी संस्था में से शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक-1, 25, 28, 30, 31, 37 एवं 39 पर अंकित कार्यों की कार्यदायी संस्था मूल शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के अनुसार लोक निर्माण विभाग को यथावत रखे जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026, दिनांक 04 जून, 2026 एवं दिनांक 03 अगस्त, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:151/2026/648बु0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/8/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, झांसी मंडल।
8- प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
15- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लोक निर्माण विभाग, झांसी।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।